2019/00008 FORM NO. III 1400/... केस मद RCMS,

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत ..................तहसीलदार (राजस्व)......................मुकाम........सादुलशहर.........................................................

राजस्थाना सरकार जरिये हल्का पटवारी बहरामपुरा बो0 बनाम हनुमान पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बहरामपुरा बोदला।

किस्म मुकदमा राज0उपनिवेशन अधि. 1954 की धारा 22 नं0.......08..........सन.......2019.........................

| तारिख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी |
|---|---|---|
| 16/08/19 | पटवारी हल्का **बहरामपुरा बोदला** की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अप्रार्थी ने ग्राम/ चक 25 एमजेडी के मु0नं0 34, के किला नं0 19,22 में .506 मु0नं0 35 किला नं0 21,22 में .506, मु0नं0 36 किला नं0 24,25 में .506 मु0नं0 40 किला नं0 4,5 में .506, मु0नं0 41 किला नं0 1,2,5 में .759 हैक्टयर कुल 2.53 हैक्टयर ग्वार एवं .253 हैक्टयर पर नरमा कुल 2.783 हैक्टयर पर ग्वार व नरमा की फसल काश्त कर ली है। प्रार्थी को उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे, साथ ही भू0अ0नि0 को मौके पर खड़ी फसल कुर्क कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 26/8/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | 1315-16 16/08/19 |
| 26/08/2019 | पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया था परन्तु अतिक्रमी ने नोटिस लेने से मना (इन्कार) कर दिया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है। कि ह0प0 बहरामपुरा बोदला ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक 25 MJD के मु0न0 34 कि0न0 19,22, मु0न0 35 कि0न0 21,22, मु0न0 36 कि0न0 24,25, मु0न0 40 कि0न0 4,5 मु0न0 41 कि0न0 1,2,5 इस प्रकार कुल .253 है0 पर नरमा व 7.59 है0 पर ग्वार कुल 2.783 है0 रकबाराज है, जिस पर हनुमान पु0 जेठाराम जाति जाट सा0 बहरामपुरा बोदला ने नाजायज काश्त अतिक्रमण कर, कर ली है। जिसके विरूद्ध राज0 उपनिवेशन 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।<br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को निर्धारित प्रपत्र में नोटिस जारी कर तलब किया गया। अतिक्रमी ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया व उपस्थित नहीं आया। अत: अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तथा अतिक्रमी हनुमान को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। एवं राज0 उपनिवेशन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अतिक्रमी पर भू-राजस्व का 50 गुना तावान | |

Scanned by CamScanner

जो 1350/- रुपये बनता है आरोपित किया जाता है अप्रार्थी को एकबाराज से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। एकबाराज पर खड़ी फसल कुर्क कर निलाम करने हेतु गिरदावर हल्का को लिखा जावे। आरोपित तावान की राशि वसूल करने एवं निलामी के पश्चात फसल उठाने के बाद अतिक्रमी को एकबाराज से बेदखल करने हेतु ह०प० को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

[signature]

Scanned by CamScanner